www.sarkaridoctor.com
www.fb.com/sarkaridoctor
twitter.com/sarkari_doctor
sarkaridoctor@gmail.com

बूस्टर डोज़

Sarkari Doctor
Booster Dose

CONNECTING DOCTORS

January 2022 Edition
Rajasthan Module
Volume T14

Inside this issue

1 - कोविड और चिकित्सा व्यवस्था
2 -**Health Minister and Officers**
3 - चिकित्सकों में आत्महत्या
4 - **Health Days**
5 - **National MOHFW**
6 - **National news**
7 - **Rajasthan news**
8 - **NEET and Residents strike**
9 - **Medico Legal**
10- About Us

Important task to do

NPA OPTION FORM IMMOVABLE PROPERTY RETURN
(Within January Month)

कोविड और चिकित्सा व्यवस्था

कोविड के आगमन के साथ दुनिया पूरी तरह से उलट-पलट गई और बीमारी और मौत के बवंडर में धकेल दी गई। आबादी के अनुरुप देश में न तो चिकित्सालय हैं, न ही चिकित्सक। अगर चिकित्सालय हैं, तो चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हैं। समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण मरीज मौत के मुंह में चले जाते हैं। जिन अस्पतालों में विशेषज्ञ होते हैं, वहां मरीजों को रेजिडेंट डॉक्टरों के भरोसे छोड़ दिया जाता है। इस व्यवस्था को सुधारने पर ध्यान देना जरूरी है। चिकित्सा संसाधनों की कमी के चलते कोविड-19 मरीज खुद उपकरण खरीदने पर मजबूर हुए, बहुत से मौतें दवाई, इंजेक्शन, बेड्स की कमी अथवा ऑक्सीजन की कमी से हुई हैं। ऐसे में जल्द ही सरकार द्वारा यदि चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जाता है तो आने वाला समय और अधिक कठिनाई भरा हो सकता है। संक्रमण की पहली और दूसरी लहर से सबक लेते हुए सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करने की युद्धस्तर पर कवायद होनी चाहिए थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका बस रेफर करने तक सिमट कर रह गई है, ऐसे में यहाँ भी छोटे छोटे भर्ती और ऑक्सीजन बेड युक्त वार्डस, मय स्टाफ के बनाने ही पड़ेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्विपमेंट (PPE), मास्क, जाँच, दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, बेड्स, वेंटिलेटर आदि की उपलब्धता को चिकित्सा सेवा के हर स्तर पर सुनिश्चित करना ही होगा। सरकार को चिकित्सा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सभी अस्पतालों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। वहां साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चिकित्सकों और अन्य स्टाफ के रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। देश के हर नागरिक को इलाज सहजता से और कम से कम खर्च पर मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, जनता का अधिकार भी है।

Minister

Hon'ble Health Minister, Rajasthan

Shri Parsadi Lal Meena

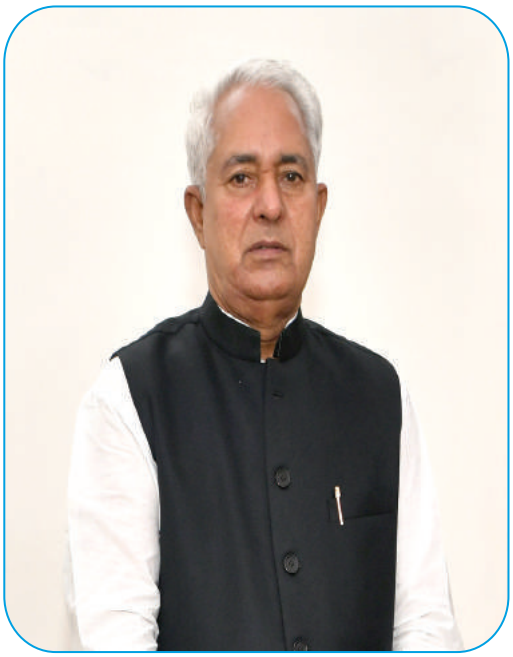

Constituency: Lalsot, Dausa district, Rajasthan

Party: Indian National Congress

Father's Name: Shri Devilal Meena

Date of Birth: Saturday, February 1, 1951

Birth Place: Lalsot, Dausa district,Rajasthan

Spouse Name: Mishri Devi Meena

SONS: 1, **DAUGHTERS:**1

Permanent Address:2121 Main Building, Gandhi Nagar, Jaipur, Rajasthan

Telephone No: 0141-2224400

Education Qualifications: Intermediate,Government Higher Secondary School, Gangapur City, Sawai Madhopur, Rajasthan

Positions Held: 1985 to 2003 Member, Rajasthan Legislative Assembly, Lalsot, Dausa, In 1998 - Minister of Cooperative in Government of Rajasthan, 2008-2013 – Member, Rajasthan Legislative Assembly, Lalsot, Dausa. & Minister of Cooperative and Food Supply, INC, 2018 – Member, Rajasthan Legislative Assembly, Lalsot, Dausa. & Cabinet Minister of Industries and State Enterprises.

Director

Dr. V. K. Mathur

Director (PUBLIC HEALTH)

Mobile: 9414004448

Landline: 0141-2229858, 0141-2225653

Email id: directorph-rj@nic.in

SSO ID: VKMATHUR1

Address: Swasthya Bhawan, Jamnalal Bajaj Marg, C-Scheme, Ashok Nagar, Jaipur, Rajasthan 302005

Photo, Name, DOB and Cadre	Education	Post
SHRI VAIBHAV GALRIYA **BHILWARA** 30/04/1974 RR:98	M.TECH (MANAGEMENT & SYSTEM) B.TECH (ELECTRONICS & COMM)	PRINCIPAL SECRETARY TO GOVT, MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT RAJASTHAN, JAIPUR
SHRI ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR **GOA** 28/06/1977 RR:02	PG DIPLOMA IN DEVEL-OPMENT MANAGEMENT	SECRETARY TO GOVERNMENT, MEDICAL & HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT, RAJASTHAN, JAIPUR
DR. JITENDRA KUMAR SONI **HANUMANGARH** 29/11/1981 RR:10	MA (PHILOSOPHY, POL-ITICAL SCIENCE, PUBLIC POLICY), SLET (PHILOS-OPHY), NET-JRF (Pol. Sc), PhD (Pol.Sc)	MISSION DIRECTOR, NHM AND EX-OFFICIO JOINT SECRETARY TO GOVERNMENT, MEDICAL, HEALTH AND FAMILY WELFARE, RAJASTHAN, JAIPUR
SMT. ANUPAMA JORWAL **JAIPUR** 26/03/1980 RR:11	MA (PSYCHOLOGY)	MANAGING DIRECTOR, RAJASTHAN MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED, JAIPUR
SMT. SHIVANGI SWARNKAR **MAHARASHTRA** 28/08/1985 RR:11	B.Sc. (MATHS)	COMMISSIONER, MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT, RAJASTHAN, JAIPUR
SHRI IQBAL KHAN **NAGAUR** 16/02/1969 SC:13	M.A.	JOINT SECRETARY TO GOVERNMENT, MEDICAL EDUCATION, RAJASTHAN, JAIPUR
SHRI SOURABH SWAMI **HARYANA** 01/12/1989 RR:15	B.TECH, M.A. (PUBLIC MANAGEMENT)	JOINT CHIEF EXECUTIVE OFFICER, STATE HEALTH ASSURANCE AGENCY, RAJASTHAN, JAIPUR

डॉक्टर्स और आत्महत्याएं

मानसिक स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता हैं। जब तक हमारे मन में नकारात्मकता हैं, हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। हल ही में बाड़मेर जिले के मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की एक छात्रा ने 06 दिसंबर 2021, सोमवार को हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया। इसके बाद पुलिस द्वारा जांच पड़ताल के बाद सुसाइड नोट मिला जिसमे लिखा था कि वह सही से पढ़ नहीं पा रही हैं। और भी बहुत सी मेडिकल कॉलेजों से ऐसी खबरें आती रहती हैं कि पढाई या अन्य किसी निजी दबाव में मेडिकल स्टूडेंट अथवा डॉक्टर ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया क्या क्या किसी विषय में फेल हो जाना जान से बड़ा है, परीक्षा दुबारा आ जाएगी लेकिन जिन्दगी एक बार की है यहाँ पर एक सवाल उन प्रोफेसर्स पर भी उठता है जो छात्रों पर या फ्रेश रेजिडेंट्स पर उठाते हैं की क्या तुम डॉक्टर बनने लायक हो? पूरी क्लास या वार्ड में सरेआम डांटा भी जाता है, एमबीबीएस करने वाला या कर चुका हर मेडिको अपने स्कुल का टॉपर रहा हुआ होता है, ऐसे में उसका इस लेवल पर आकर डांट खाना या फेल हो जाना उसके लिए एक बुरे सपने जैसा होता है, इसके ऊपर से अगर उसके साथ डांट डपट हो और कोई ढाढस बंधाने का सहारा ना हो तो वो ऐसे सदमे झेल नहीं पाता और अंततः तनाव में आकर गलत कदम उठा सकता है।

हालाँकि भारतीय सिस्टम में छात्रों को यह नहीं सिखाया और पढाया जाता है कि फेल होने के बाद खुद को कैसे सम्हालें, उसके बाद क्या करें, लेकिन एक बात तय है की फेल होना भी अपने आप में सीखना है, फेल होकर आगे बढ़े छात्र मानसिक रूप से एक नई मजबूती प्राप्त करते हैं।

इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बैक्बेंचर्स अच्छे डॉक्टर नहीं बनते, एक अच्छे डॉक्टर की परिभाषा बहुत अलग है, उच्च शिक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है लेकिन इसके साथ बहुत बड़ा योगदान अवेलेबिलिटी, व्यवहार, अभ्यास का भी है, बहुत से छात्र अपने गुरुओं से ज्यादा सफल चिकित्सक हैं, बहुत से बैकबेंचर्स अपने बैच के टोपर्स से कहीं आगे हैं।

एक पेपर या एक साल फेल हो जाने से जीवन खत्म नहीं हो जाता, जीवन तब खत्म होता है यह यह मान लिया जाता है कि यह अंतिम परीक्षा थी और कुछ भी अंतिम नहीं होता, एक नई शुरुआत होती है। मेडिकल कॉलेजों के सीनियर्स और प्रोफेसर्स को भी नई जिम्मेदारियां निभानी होंगी, केवल मात्र डांट डपट और बेइज्जत करने के बजाय छात्रों को हौसला भी देना होगा, एनाटोमी और मेडिसिन के साथ साथ जीवन के पाठ भी पढ़ाने होंगे, आप भी कभी इस उम्र में इन्हीं परेशानियों से गुजरे हैं, यह समझना होगा। एनसीबीआई की रिसर्च के अनुसार, भारत में हर साल तकरीबन 17 हजार लोग आत्महत्या करते हैं। कभी कुछ लोग अपनी निजी समस्याओं के चलते इतने परेशान हो जाते हैं कि उनके मन में आत्महत्या तक करने के ख्याल आने लगते हैं। आत्महत्या के ख्याल आने पर जरूरी है कि आप खुद को संभालें और इस नकारात्मक विचार से खुद को दूर करने की भरपूर कोशिश करें। चाहें आप कितना भी दर्द महसूस कर रहे हों, आप अकेले नहीं हैं। दर्द का इलाज किया जा सकता है और आशा को एक नई दिशा दी जा सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति क्या है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी जरूरत है, ऐसी जगहें जहां आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। आपके साथ जरूर कुछ ऐसे यादगार अनुभव होंगे, जो आपको याद दिला सकते हैं कि जीवन कितना अच्छा है। मौत का सामना करने के लिए असली हिम्मत चाहिए। आप अपनी इसी हिम्मत और साहस का उपयोग जीवन की कठनाइयों का सामना करने के लिए कीजिए।

National Youth Day 12 January 2022

Union Minister for Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports Anurag Thakur said Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the five-day 25th National Youth Festival, organised as part of the Azadi ki Amrit Mahotsav marking the 75th year of Independence in Puducherry on January 12. "The Prime Minister has hand-picked Puducherry as the venue for the festival. Puducherry is a dream destination for many and the festival will be a great opportunity to showcase the potential of the place. The Centre will provide all assistance in whatever manner possible to the U.T.," the Minister said after unveiling the festival logo and mascot, "Saksham Yuva-Shashakt Yuva" along with Lt. Governor Tamilisai Soundararajan. Youth from across the country will showcase their culture and talents. People can learn and share several things from the event, he added. "The world is looking at India and the youth have an important role in nation building. The power of youth should be channelled to make the country a global power. The time has come for the country to showcase its power and abilities," he said.

When is World Leprosy Day 2022?

In 2022, World Leprosy Day is Sunday 30 January. World Leprosy Day always takes place on the last Sunday of January.

This date was chosen by French humanitarian, Raoul Follereau as a tribute to the life of Mahatma Gandhi, who did much work with persons affected by leprosy and died at the end of January in 1948.

What is World Leprosy Day?

World Leprosy Day takes place on the last Sunday of January each year. It is organised by organisations of people affected by leprosy and leprosy-focused NGOs, and is an opportunity to lift up the voices of people affected by leprosy throughout the world.

What is the theme for World Leprosy Day 2022?

The theme for World Leprosy Day 2022 is 'United for Dignity'. The campaign honours the lived experiences of individuals who have experienced leprosy by 1) sharing their empowering stories and 2) advocating for mental wellbeing and the right to a dignified life free from disease-related stigma.

The key messages are:

1. Together we can lift up every voice and honour the experiences of people who have experienced leprosy.
2. People who experience leprosy face mental wellbeing challenges due to stigma, discrimination, and isolation.
3. People who experience leprosy have the right to a dignified life free from disease-related stigma and discrimination.

This #WorldLeprosyDay we are #United4Dignity because every individual has the right to health—both physical and mental. Leprosy is curable and not highly contagious. After treatment, people can return to work and live dignified lives.

डेक्सट्रोमेथॉर्फ़न विषाक्तता (Dextromethorphan Poisoning)

केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने बताया कि तबीयत बिगड़ने से 16 बच्चे कलावती सरन अस्पताल में भर्ती कराए गए थे. उनमें से तीन की मौत हो गई थी.इसकी जांच रिपोर्ट में सीरप की गुणवत्ता ठीक नहीं पाई गई है. । दिल्ली के कलावती सरन अस्पताल (Kalawati Saran Children Hospital) में डेक्सट्रोमेथार्फन कफ सीरप (Dextromethorphan Cough Syrup) के दुष्प्रभाव से तीन बच्चों की मौत का मामला सामने आया । कुछ मीडिया ने दावा किया कि करीब चार महीने पहले हुई इन मौतों की जांच रिपोर्ट में सामने आई है कि उन बच्चों को डेक्सट्रोमेथार्फन सीरप दी गई थी, इसके विषाक्त होने से बच्चों की मौत हुई, उन्होंने दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लीनिक (Delhi Mohalla Clinic) और उनके डॉक्टरों पर भी सवाल उठाए ।
दरअसल केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (Director General of Health Services) ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को निर्देश दिया है कि वह मोहल्ला क्लीनिकों, डिस्पेंसरियों को नोटिस जारी करे कि चार साल से कम उम्र के बच्चों को डेक्सट्रोमेथार्फन सीरप न दी जाए. डीजीएचएस द्वारा कहा गया है कि जांच में यह बात सामने आई है कि मोहल्ला क्लीनिक में बच्चों यह कफ सीरप दी गई थी ।

ओमिक्रॉन के निशाने पर बच्चें

चिंता की सबसे बड़ी बात ये है कि देश में बच्चों को अभी तक कोविड वेक्सीन भी नहीं लगी है और ऐसे में ओमिक्रॉन वेरिएंट डरा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने के कारण पूरी दुनिया में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। भारत में भी बच्चों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले देखे जा रहे हैं। मुंबई में तीन साल के एक बच्चे को भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों के लिए चिंता की सबसे बड़ी बात ये है कि देश में बच्चों को अभी तक कोविड वेक्सीन भी नहीं लगी है और ऐसे में ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलना डरा रहा है। अमेरिकी नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) से जारी हुए डेटा में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जो बात कही गई है उसके मुताबिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट शुरूआत में डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले हल्का जरूर है लेकिन चिंताजनक बात ये है कि ये आने वाली पीढ़ी यानी बच्चों को अपना शिकार ज्यादा बना रहा है।

NHS ने बच्चों में में ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षणों का भी खुलासा किया है। बच्चों में में ओमिक्रॉन वेरिएंट के इस प्रकार के लक्षण देखने को मिल रहे हैं-
1. तेज बुखार
2. लगातार खांसी (ये दस मिनट से लेकर घंटे तक हो सकती है)
3. बहुत थकान
4. सिर में लगातार दर्द
5. गले में खराश
6. भूख मर जाना

इसके अलावा गौर करने वाली बात ये देखी जा रही है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार ज्यादा बना रहा है। देश में बच्चों के लिए कोविड वेक्सीन आ गई है, टीकाकरण करवाने के साथ साथ आपको बच्चों को महफूज रखने के अन्य उपाय भी अपनाने चाहिए।

Insurance Medical Officer के पदों पर भर्ती

Employees' State Insurance Corporation ने ESI Corporation में Insurance Medical Officer (Grade-II) (Allopathic) के कुल 1210 पदों पर भर्ती निकाली हैं जिसके लिए 31.12.2021 से ESIC के पोर्टल पर पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं । फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31.01.2021 हैं ।

विदेश में मेडिकल पढाई का गजट नोटिफिकेसन

विदेश से डॉक्टर की पढाई करने वालो के लिए अच्छी खबर । केंद्र सरकार ने विदेश से मेडिकल डिग्री करने वालों के बनाए गए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विनियमावली-2021 व राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विनियमावली-2021 का गजट नॉटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन नए प्रावधान को लेकर विदेश से पढ़ रहे स्टूडेंट्स के ग्रुप ने वेबिनार के जरिये संशय को लेकर आयोग से बात की। फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने बताया कि फिलिपिंस सहित अन्य देशों में मेडिकल, जिसमें एमबीबीएस व बीएस (एमडी) जैसे कोर्स के लिए 18 नवंबर से पहले एडमिशन ले लिया है, वे नए प्रावधान से मुक्त रहेंगे। गजट नॉटिफिकेशन 18 नवंबर को जारी किया गया है, ऐसे में यह इसी तारीख से लागू होगा, इससे पहले के एडमिशन पर इसका असर नहीं होगा। नॉटिफिकेशन में भी कहा गया है कि उन मामलों में छूट होगी, जिनमें ऐसे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक, जिन्होंने इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पहले कोई विदेशी आयुर्विज्ञान डिग्री या प्राथमिक शैक्षिक योग्यता, जैसा भी मामला हो, प्राप्त कर ली हो। ऐसे अभ्यर्थी, जो इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पहले विदेशी संस्थानों में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक, जिन्होंने कोई विदेशी आयुर्विज्ञान डिग्री या प्राथमिक शैक्षिक योग्यता, जैसा भी मामला हो, पूरी कर ली है और ऐसे अभ्यर्थी जो इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पहले विदेशी संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लागू होने वाले तत्कालीन विनियमों द्वारा विनियमित होंगे।

इलाज के बावजूद मरीज नहीं बचता हैं, तो चिकित्सकों को दोष नहीं दे सकते

बोम्बे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर में इलाज के दौरान 23 साल पहले हुई एक मरीज की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी. रामसुब्रह्मन्यम की पीठ ने अस्पताल प्रबंधन को राहत देते हुए कहां कि उपचार के बावजूद अगर रोगी जीवित नहीं रहता हैं तो चिकित्सक को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योकिं चिकित्सक अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के बावजूद होनी को नहीं बदल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी कहां हैं कि जब मरीज को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाए और किसी वजह से ऑपरेशन थियेटर खाली न हो तो इसे अस्पताल की लापरवाही नहीं माना जा सकता।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme)

एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम जनवरी 2018 में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किया गया, इसका उद्देश्य देश भर में 112 सबसे कम विकसित जिलों को जल्दी और प्रभावी ढंग से विकसित करना है। कार्यक्रम के व्यापक रूप हैं, कन्वर्जेंस (केंद्र और राज्य की योजनाओं का), सहयोग (केंद्रीय, राज्य स्तर के 'प्रभारी' अधिकारियों और जिला कलेक्टरों का), और मासिक डेल्टा रैंकिंग के माध्यम से जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा; सभी एक जन आंदोलन से प्रेरित हैं। यह कार्यक्रम राज्यों को मुख्य रूप में, प्रत्येक जिले की ताकत पर ध्यान केंद्रित करवाता है और मासिक आधार पर जिलों की रैंकिंग करके प्रगति को मापता है। रैंकिंग 5 व्यापक सामाजिक-आर्थिक विषयों के आधार पर दी जाती है- स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास। बुनियादी ढांचे के तहत 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) में की गई वृद्धिशील प्रगति पर आधारित है। आकांक्षी जिलों की डेल्टा-रैंकिंग और सभी जिलों का प्रदर्शन चैंपियंस ऑफ चेंज, डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। सरकार अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है - "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास"। नीति आयोग जिला स्तर पर तेजी से प्रगति करने के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभिन्न विकास भागीदारों के साथ मिलकर काम करता है। विभिन्न कार्यक्रम जैसे - सक्षम बिटिया अभियान, एनीमिया मुक्त भारत और सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, कुछ प्रमुख पहल हैं जो इस संबंध में नीति आयोग द्वारा शुरू की गई हैं। जिलों को सामाजिक-आर्थिक विषयों में सुधार लाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने और दोहराने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। कार्यक्रम का एक और फोकस प्रत्येक जिले के भीतर ब्लॉक स्तर पर प्रगति में आगे बढ़ना है। जिलों को उन ब्लॉकों की प्रगति की निगरानी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो जिले के समग्र सुधार की ओर ले जाते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम का उद्देश्य अनिवार्य रूप से सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाना है, जिससे राष्ट्र की प्रगति हो सके। राजस्थान में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स निम्न हैं - धोलपुर, जैसलमेर, बारां, करौली और सिरोही।

सिरोही जिला Aspirational District में सम्मिलित होने के कारण हाल ही में में स्थानांतरित किये गए चिकित्सको को कार्य से मुक्त नहीं किया गया। स्थानांतरित किये गए सभी चिकित्सकों के आदेश विभाग द्वारा प्रत्याह्यरीत (Withdraw) कर लिए गए।

Delta Ranking of November 2021

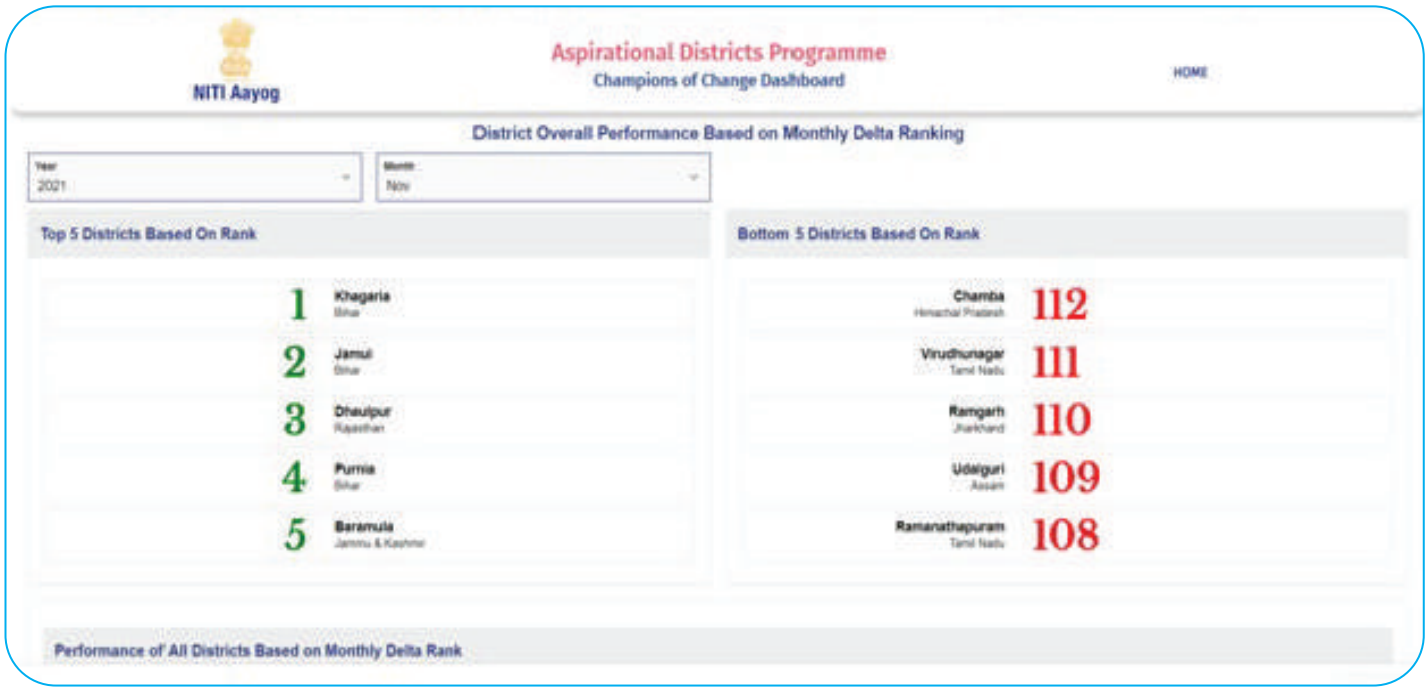

सरकारी सेवा में शामिल होने से कुछ दिन पहले बच्चे को जन्म देने वाले कर्मचारी को मिलेगा मातृत्व लाभ

अदालत के समक्ष सवाल था कि क्या एक उम्मीदवार जिसने सरकारी सेवा में शामिल होने से पहले बच्चे को जन्म दिया है, वह राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 103 के अनुसार मातृत्व लाभ का हकदार है या नहीं। निर्णय मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों पर निर्भर करता है या आरएसआर नियमों पर। आरएसआर के नियम 103 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मातृत्व लाभ तब उपलब्ध होता है जब एक महिला के सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद बच्चे का जन्म होता है। मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की धारा 5 (2) में प्रावधान है कि "कोई भी महिला तब तक मातृत्व लाभ की हकदार नहीं होगी जब तक कि उसने वास्तव में उस नियोक्ता की स्थापना में काम नहीं किया है जिससे वह एक अवधि के लिए मातृत्व लाभ का दावा करती है। उसकी अपेक्षित डिलीवरी की तारीख से ठीक पहले के बारह महीनों में कम से कम एक सौ साठ दिन।"

अदालत ने निम्नलिखित निर्णय लिया - "इस न्यायालय की सुविचारित राय में, चूंकि इन नियमों के लागू होने की तिथि पर, एक कर्मचारी, जिसने पहले ही जन्म दे दिया था, मातृत्व अवकाश प्राप्त करने का हकदार था, यह न केवल अन्यायपूर्ण होगा, लेकिन सरकारी सेवा में शामिल होने से कुछ दिन पहले बच्चे को जन्म देने वाले कर्मचारी को बाहर करना भी भेदभावपूर्ण है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मूल पद पर नियुक्ति के अनुसरण में शामिल होने पर, एक पदधारी सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए सरकारी सेवक बन जाता है और एक माँ की प्रसूति आवश्यकताओं को केवल इसलिए ग्रहण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह कर्तव्यों में शामिल हो गई है।" इसने आगे कहा कि "यह कहकर 'छद्म-भेद' करना कि याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारी नहीं था, जब बच्चा पैदा हुआ था या दूसरे शब्दों में बच्चे का जन्म शामिल होने से पहले हुआ था, नियम 103 के प्रावधानों के विपरीत है और है सीधे नियम के उद्देश्य के साथ संघर्ष में। इस तरह का रुख मनमाना और असमान है, अगर नहीं तो अमानवीय है।" याचिकाकर्ता आरएसआर के नियम 103 के अनुसार मातृत्व अवकाश के अनुदान की हकदार है, इस तथ्य के बावजूद कि उसने सरकारी सेवा में शामिल होने से पहले बच्चे को जन्म दिया था।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस मामले में याचिकाकर्ता को जन्म देने के समय सरकारी कर्मचारी न होने के बावजूद, माननीय न्यायालय की 'इसके प्रारंभ होने की तारीख से' की व्याख्या के कारण मातृत्व लाभ प्रदान किया गया था। आरएसआर के नियम 103 में उल्लिखित। इसलिए, यह निर्णय राजस्थान में केवल उन सरकारी सेवकों पर लागू होता है जिन पर RSR नियम लागू होते हैं।

ऐसी स्थिति में मातृत्व लाभ 180 दिन के बजाय कम मिलेगा, कितना कम मिलेगा उसके लिए निम्न फ़ॉर्मूला तय किया गया है -

देय अवकाश = 180-A-B

A = सेवा जॉइन करने से पहले का समय (प्रसव से पूर्व के 15 दिन + प्रसव के जितने दिन बाद सेवा जॉइन की)

B = सेवा जॉइन करने के बाद का समय (जॉइनिंग के जितने बाद प्रार्थना पत्र दिया जाता है, 15 दिन में देना अनिवार्य)

वैक्सीनेशन से ही सरकारी योजना के लाभ

जिन व्यक्तियों ने वैक्सीनेशन की प्रथम एवं द्वितीय डोज नही लगवाई है उनकी सभी राजकीय लाभ यथा खाद्य सुरक्षा का राशन, चिरंजीवी योजना लाभ, पीएम आवास योजना, पंजीकरण, किस्त राशि भुगतान, न्यू पेंशन आवेदन, पीएम किसान आवेदन स्वीकार नही होंगे ओर सभी लाभ बंद कर दिए जाएंगे। जिन्होंने भी कोरोना वैक्सीन की प्रथम व द्वितीय डोज नही लगवाई है। वो नजदीक टीकाकरण सेंटर पर जाकर वैक्सीनेशन आवश्यक रूप से लगवाए। अन्यथा उनके सभी राजकीय लाभ यथा खाद्य सुरक्षा का राशन, चिरंजीवी योजना लाभ, पीएम आवास योजना, पंजीकरण, किस्त राशि भुगतान, न्यू पेंशन आवेदन, पीएम किसान आवेदन स्वीकार नही होंगे ओर सभी लाभ बंद कर दिए जाएंगे। सभी अधिकारी व कार्मिकों को वैक्सीनेशन के दौरान फील्ड विजिट के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए है। साथ ही वैक्सीनेशन में शत प्रतिशत प्रगति लाने हेतु हिदायत दी है।

“शुद्ध के लिए युद्ध” अभियान की शुरुआत

राजस्थान सरकार ने 1 जनवरी 2022 से प्रदेश भर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का आगाज कर दिया है। यह अभियान 31 मार्च 2022 तक चलेगा। अभियान में चिकित्सा विभाग के अलावा, पुलिस, जिला प्रशासन और माप-तौल विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभागा को शामिल किया गया है। राजस्थान सरकार मिलावट की सूचना देने पर 51 हजार रुपये भी देगी। खास बात यह है कि मिलावट को लेकर जितने भी मामले सामने आएंगे उनका निस्तारण 90 दिन के अंदर ही कर दिया जाएगा।

राजस्थान में मिलावट पर 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान

सरकार ने खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए नियमों में संशोधन किया था। हालांकि, अभी नया एक्ट लागू नहीं हुआ है। नए एक्ट लागू होने का बाद प्रदेश में मिलावट गैर जमानती अपराध होगा। नए एक्ट में जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान भी किया गया है। उल्लेखनीय है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए विधानसभा में दंड प्रक्रिया की धारा 272 से 276 में संशोधन किया गया है। गैर जमानती अपराध के तहत मिलावटखोर को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। जिसमें एक वर्ष से 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। खाने-पीने की चीज असुरक्षित पाई जाती है तो उसमें 3 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। साथ में 50 हजार रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। राजस्थान में 50 लाख कारोबारी खाद्य सामग्री के विक्रेता एवं निर्माण से जुड़े हुए है। मिलावटी दवाओं को भी एक्ट में शामिल किया गया है। कैबिनेट ने 23 फरवरी 2021 को राजस्थान लॉ अमेंडमेंट बिल-2021 को मंजूरी दी थी।

डिकॉए आपरेशन किए जाएंगे

जिस प्रकार लिंग परीक्षण रोकने के लिए डिकॉए आपरेशन होते हैं, उसी तर्ज पर मिलावटखोरों के यहां डिकॉए आपरेशन किए जाएंगे। सरकार ने अभियान की जिम्मेदारी प्रत्येक जिला कलेक्टर को सौंपी है। अभियान को सशक्त बनाने के लिए पहली बार 6 विभागों को इसमें जोड़ा गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम का पुलिस भी सहयोग करेगी। प्रकरण लंबित नहीं रहे, इसलिए 90 दिन में ही मामलों का निस्तारण कर दिया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से जांच करने वाली टीमों को राहत मिली है।

फ़ूड सेफ्टी गया निदेशक जनस्वास्थ्य के हाथ से

निदेशक के अधिकारों की कटौती के क्रम में एक बड़ा झटका निदेशक जन स्वास्थ्य से फ़ूड सेफ्टी कमिश्नर की पोस्ट छीन कर दिया गया है। पूर्व में अराजपत्रित पदों के अतिरिक्त निदेशक का पद होता था जिसे भी निदेशक का करके आरएएस को बैठाया गया। अब फूड सेफ्टी कमिश्नर पद पर आइएएस श्री सुनील शर्मा को लगाया गया है। फ़ूड सेफ्टी निदेशालय के लिए औषधि नियंत्रण संगठन के ऊपर नया भवन बनना प्रस्तावित है। हालाँकि स्वास्थ्य भवन में जगह की बेहद कमी है लेकिन नया भवन बनने तक इन्हें स्वास्थ्य भवन की तीसरी मंजिल पर छः कमरे आवंटित किये गए हैं। सरकार का इरादा फ़ूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) बनाने है, जिसमें खाद्य पदार्थों और नकली दवाओं पर नियंत्रण किया जा सकेगा। यह एक मालदार विभाग बनने वाला है।

सिलिकोसिस बीमारी के फर्जी प्रमाण पत्र

राजस्थान सरकार सिलिकोसिस पीड़ित को तीन लाख रुपए, 1500 रुपए मासिक पेंशन व मृत्यु होने पर परिजन को दो लाख रुपए देती हैं। यह सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज बनाने के मामले में आवेदन भोपालगढ़ के भाकरी में चौकीदारों का बास निवासी निरमा पत्नी उगराराम, छापला निवासी सुमन पत्नी घनश्याम, पालड़ी के नागलवास निवासी गुलाम नबी पुत्र लाल खान व भोपालगढ़ निवासी सलीम पुत्र सद्दिक, आसोप थानांतर्गत चौकीदारों का बास निवासी एजेंट दिनेश पुत्र मोहनराम बावरी और भोपालगढ़ में कुंभारा निवासी ई- मित्र संचालक प्रकाश पुत्र भगवानराम बावरी को गिरफ्तार किया गया। इनमें दिनेश एजेंट व प्रकाश ई-मित्र संचालक हैं। शेष चारों ने सिलिकोसिस पीड़ित बनकर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किए थे। चिकित्सकों को ध्यान रखने की जरुरत है कि कहीं उनके नाम से फर्जी प्रमाण पत्र तो जारी नहीं हो रहे हों।

कैशलेश अस्पताल नहीं, तो चिकित्सा खर्च मिलेगा

राजस्थान प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में जहां राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत अधिकृत अस्पताल नहीं हैं, राज्य के अधिकारी – कर्मचारी व पेंशनरों को चिकित्सा खर्च का पुनर्भरण किया जाएगा। दिल्ली और चेन्नई सहित कई जगह इस तरह को समस्याएं आ रही थीं। वित्त विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर कहा हैं कि जहां आरएचजीएस के तहत अधिकृत अस्पताल नहीं हैं, वहां अस्पताल चिन्हित होने तक चिकित्सा खर्च का पुनर्भरण किया जाएगा।

राजमेस में नवीन पद सृजन की स्वीकृति

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजमेस) के अधीन संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों (चुरू, पाली भीलवाड़ा भरतपुर एवं डूंगरपुर) के 4th एन.एम.सी. रिन्यूवल एवं पीजी कोर्सेज के लिए प्रति महाविद्यालय 05 प्रोफेसर, 21 असिस्टेंट प्रोफेसर, 35 असिस्टेंट प्रोफेसर अन्य विषयों के, 10 सीनियर डिमॉन्स्ट्रेटर, 13 सीनियर रेजिडेंट तथा 21 जूनियर रेजिडेंट, कुल 105 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की गई हैं।

चिकित्सक शिक्षकों को निजी प्रैक्टिस के संबंध में

राज्य के समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को कार्यालय में के अतिरिक्त निजी प्रैक्टिस किए जाने के संबंध में निम्न दिशा निर्देश जारी किए गए–

1. चिकित्सक शिक्षकों को निजी प्रैक्टिस उनके आवास स्थान पर ही अनुमत होगी वे किसी निजी चिकित्सा संस्थान/ चिकित्सालय अथवा अन्य समान संस्था पर निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे।
2. चिकित्सक शिक्षक प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व निजी प्रैक्टिस का विकल्प प्रस्तुत करेंगे अन्यथा उन्हें नॉन प्रेक्टिसिंग वर्ग में माना जाएगा।
3. जो चिकित्सक शिक्षक निजी प्रैक्टिस का विकल्प प्रस्तुत करेंगे उन्हें नियमानुसार एन. पी. ए. / एन. सी. ए. देय नहीं होगा।
4. चिकत्सक शिक्षक द्वारा प्रतिदिन के राजकीय कार्य को निष्ठा पूर्वक संपन्न करने का उत्तरदायित्व निर्वहन करना होगा अन्यथा राज्यादेश की अवहेलना समझी जाएगी एवं नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सहायक आचार्य भर्ती में अंक बदलाव

चिकित्सा शिक्षा के 337 पद पर सहायक आचार्य की भर्तियां फिर से पूर्व नियमों के आधार पर ही होगी। भर्ती में लिखित परीक्षा के 40 एकेडमिक के 20 और साक्षात्कार के 40 अंक मिलाकर 100 अंक किए जाएंगे। आरपीएससी अध्यक्ष के कहे अनुसार चिकित्सा शिक्षा के 337 पद पर इस वर्ष निकाली सहायक आचार्य की भर्ती में विज्ञप्ति हो या ना हो लेकिन भर्ती प्रक्रिया लिखित, एकेडमिक और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर ही होगी। सर्विस रूल्स में डायरेक्ट साक्षात्कार से ही भर्ती का नियम है। इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है, लेकिन आरपीएससी ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाया है। अब इंटरव्यू के आधार पर भर्ती नहीं होगी। इस पर जो विज्ञापन निकाला है, उसमें इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन भर्ती 40:20:40 के आधार पर की जाएगी। भर्ती विभाग ने सरकार से नियमों में संशोधन कर इंटरव्यू को 12.5% करने का आग्रह किया है।

राजस्थान में जूनियर रेजिडेंट के 1054 पद स्वीकृत

चिकित्सा विभाग ने आम मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जूनियर रेजिडेंट के 1054 पदों पर अस्थाई रूप से की सृजन की स्वीकृति जारी कर दी है.इससे जूनियर रेजीडेंट्स को मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में काम करने का अवसर प्राप्त होगा, वहीं मरीजों को सुविधाजनक रूप से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुलभ हो सकेंगी । चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि प्रदेश की 7 चिकित्सा महाविद्यालयों में कुल 1 हजार 54 जूनियर रेजीडेंट्स के पद पर स्वीकृत किए गए है। विभाग ने 1 दिसंबर 2021 से 28 फरवरी, 2022 तक अथवा नीट-पीजी काउंसलिंग पूर्ण होने तक या दोनों में से जो पहले हो तक के लिए अस्थाई स्वीकृति जारी की है.इस स्वीकृति के बाद जहां चिकित्सा महाविद्यालयों में जूनियर रेजिडेंट्स की कमी नहीं रहेगी ।

राजमेस में चिकित्सक शिक्षकों को नियुक्ति

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसाइटी, जयपुर (राजमेस) ने 80 चिकित्सक शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की हैं।

कॉलेज	प्रोफेसर	एसोसिएट प्रोफेसर	असिस्टेंट प्रोफेसर
मेडकिल कॉलेज बाड़मेर	02	01	06
मेडकिल कॉलेज भरतपुर	02	05	06
मेडकिल कॉलेज भीलवाड़ा	01	02	11
मेडिकल कॉलेज चुरू	01	02	11
मेडकिल कॉलेज डूंगरपुर	00	00	05
मेडकिल कॉलेज पाली	02	01	06
मेडकिल कॉलेज सीकर	03	03	10
कुल	11	14	55

एमबीबीएस बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता

बेरोजगारी भत्ता लेने वालों के लिए सरकार ने तीन माह की स्किल ट्रेनिंग और चार घंटे रोजाना की इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी हैं, लेकिन जो छात्र प्रोफेशनल कोर्स कर चुके हैं, उन्हें तीन महीने की स्किल ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी। जिन छात्रों ने एमबीबीएस किया हैं, उन्हें तीन महीने की स्किल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं हैं। इस योजना में पात्रता की शर्तें पूरी करने पर आवेदन सत्यापित कर दिया जाएगा। जिला रोजगार केन्द्र में अथवा विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

डॉक्टर की डेंगू से मौत

पीबीएम के मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर की डेंगू से मौत हो गई है। डॉक्टर रविन्द्र जांगिड़ को कुछ दिनों पहले डेंगू हुआ था। उसके बाद उन्हें मेदांता दिल्ली से जयपुर के एसएमएस रेफर कर दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर रविन्द्र मात्र 35 वर्ष के थे।

मेडिकल छात्रा ने किया सुसाइड

बाड़मेर मेडिकल कॉलेज की सेकंड ईयर की छात्रा सुनीता मीणा ने हॉस्टल के कमरे के पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया। बरामद सुसाइड नोट के अनुसार वह सही से पढ़ नहीं पा रही थी। सुनीता झुंझुनू के खेतड़ी इलाके की रहने वाली थी।

आखिर क्यों देशभर के MBBS डॉक्टर कर रहे हड़ताल

नीट काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर देशभर में रेजिडेंट डॉक्टरों की स्ट्राइक हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले भरोसे के बाद उन्होंने स्ट्राइक को स्थगित कर दिया था। उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो वे फिर से स्ट्राइक कर सकते हैं।

क्या था मामला?

फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर्स असोसिएशन (FORDA) की अगुवाई में दिल्ली में रेजिडेंट्स डॉक्टर्स स्ट्राइक पर थे। फोर्डा का कहना है कि हर साल पीजी के लिए जनवरी में एग्जाम होता है और मई तक डॉक्टर जॉइन कर लेते हैं। इस साल एग्जाम जनवरी में नहीं हो पाया। कोविड का हवाला दिया गया। पहले मार्च-अप्रैल का समय दिया गया, लेकिन कोविड पीक की वजह से फिर एग्जाम नहीं हो पाया। सितंबर में एग्जाम हुआ। रिजल्ट आ गया है, लेकिन काउंसलिंग नहीं हुई है। अभी तक काउंसलिंग की तारीख की घोषणा भी नहीं हुई है। मामला लगभग एक साल पीछे चला गया है। लगभग 45 से 47 हजार एमबीबीएस डॉक्टर पीजी करने के इंतजार में हैं।

Resident Doctor Associations of Rajasthan (Office Bearers)

S.No.	Medical College	President	Secretory
1.	SMS MC Jaipur	Dr. Amit Yadav 9829110849	Dr. Karmendra Singh 9414512551
2.	SP MC, Bikaner	Dr. Mahipal Nehra 9950225771	Dr. Manoj Yadav
3.	JLN MC, Ajmer	Dr. Abhishek Bendha 9462789990	Dr. Amit Kant
4.	Dr. SN MC, Jodhpur	Dr. Sandeep Dewat 9887192335	Dr. P.C. Vishnoi
5.	RNT MC, Udaipur	Dr. Navratan Sharma 9887979396	Dr. Piyush Dodiyar
6.	GMC, Kota	Dr. Maneesh Gadhwal 9414246466	Dr. Harsh Bhardwaj Dr. Radhe Mohan Meena Dr. Ramakant Bissa
7.	JMC, Jhalawar	Dr. Ramavtar Sharma 9413171542	Dr. Lokesh Meena Dr. Navin Ratawal
8.	RUHS, Jaipur	Dr. Mukesh Gupta 8504092462	Dr. Kamalkant Tridevi 9462612884

क्या थी अड़चन ?

फोर्डा के प्रेजिडेंट डॉ. मनीष कुमार ने कहा कि पीजी एग्जाम के नोटिफिकेशन के बाद सरकार ने नई रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत एडमिशन लागू कर दिया है। इससे डॉक्टर असमंजस में पड़ गए। इसमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी क्राइटेरिया में कुछ बदलाव किया गया है। इसका विरोध हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब रखा और इस पर 6 जनवरी को सुनवाई हुई। यहां वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। हमने सरकार से जल्दी हियरिंग कराने की भी मांग की। चार बार केंद्र सरकार के मंत्री और अधिकारियों और मंत्री के साथ बैठक हो चुकी। हर बार कहा जाता रहा कि एक हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन फिर भी काउंसलिंग नहीं हुई।

रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर क्यों?

फोर्डा के जनरल सेक्रेट्री डॉ. सुनील अरोड़ा ने कहा कि जो भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं, उन पर प्रेशर है। उनकी ट्रेनिंग प्रभावित हो रही है और काम का प्रेशर भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि तीन साल का कोर्स होता है। अगर हर बैच में 100-100 पीजी स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे में जो सेकंड ईयर में हैं, उन्हें फर्स्ट ईयर का भी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक फर्स्ट ईयर में पीजी स्टूडेंट्स आया ही नहीं है। साल खत्म होने वाला है तो थर्ड ईयर का भी कोर्स पूरा होने वाला है। वह भी चले जाएंगे। उनका प्रेशर भी सेकंड ईयर पर आएगा। पीजी में हर साल अलग-अलग ट्रेनिंग होती है। प्रेशर की वजह से ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। स्पेशलाइजेशन कोर्स में अगर ट्रेनिंग ही नहीं होगी तो इसका असर करियर पर पड़ सकता है। यही वजह है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स जो मेडिकल कॉलेज में हैं, वे नए स्टूडेंट्स के एडमिशन की मांग को लेकर स्ट्राइक करने पर मजबूर हुए।

कोर्ट ने क्या दिया डिसीजन?

रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस 6 जनवरी के बजाय एक दिन पहले 5 जनवरी को दोपहर बाद सुना गया और इस में पेटिशनरों के वकील श्याम दीवान और दात्तार ने अपना पक्ष रखा। 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष सुना और 7 जनवरी अंतिम फैसला सुनाया जिसके तहत इस वर्ष की नीट काउंसलिंग में पुराना आरक्षण सिस्टम ही चालू रहेगा, जिसके तहत आल इंडिया कोटे में ओबीसी को 27% और पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जायेगा, आगामी वर्षों की काउंसलिंग में सवर्ण आरक्षण की क्या योग्यताएं होंगी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट मार्च के तीसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा।

रेजिडेंट डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार के संबंध में लिए गए निर्णय

1. नीट पीजी परीक्षा 2021 की काउंसलिंग का निर्णय केंद्रीय स्तर पर किया जा रहा है जूनियर रेजिडेंट की भर्ती सतत प्रक्रिया के अनुसार एवं उनका पदस्थापन आवश्यकता के अनुसार सुपर स्पेशलिटी एवं ब्रांड स्पेशलिटी (क्लीनिकल एवं नॉन क्लीनिकल) में किया जाएगा।
2.

i. पेपर एवं पोस्टर प्रेजेंटेशन की बाध्यता एन.एम.सी. की गाइडलाइन के अनुरूप है। अतः इसका सुपर स्पेशियलिटी एवं ब्रांड स्पेशियलिटी हेतु केंद्र स्तर पर निराकरण संबंधित कॉलेजों के प्रधानाचार्य स्तर पर आज दिनांक 8.12.2021 से सात दिवस में प्रस्ताव ए.एन.सी. को भिजवाया जाएगा।

ii. थीसिस सबमिट करने की अवधि को बढ़ाने के लिए एन.एम.सी. की एडवाइजरी दिनांक 22.12 .2020 "in view of covid-19 pandemic the PGMEB has decided to relax the said portion of the regulation and allow the postgraduate degree students of batches 2018_19 and 2019-20 only to submit their thesis at least 03 maths before the theory and Clinical/Practical examination" की पालना प्रधानाचार्य/ आर. यू. एच. एस. स्तर पर करते हुए थीसिस जमा कराने की दिनांक 28.02.2022 की जावेगी।

3. चिरंजीवी के भामाशाह योजना के संबंधित कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है । टेंडर होने के पश्चात चिरंजीवी का भामाशाह का कार्य टी. पी. ए. सेल द्वारा किया जाएगा।

4. इन सर्विस रेजिडेंट डॉक्टर्स के अध्ययन अवकाश हेतु कॉलेज, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य स्तर पर नए पी.जी. बेच के प्रवेश से पूर्व नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे जो अध्ययन अवकाश संबंधी प्रकरणों को जल्द निस्तारित करवाएंगे।

5. सीनियर रेजिडेंट के पदों में संबंधित मेडिकल कॉलेजों में आवश्यकता के अनुसार क्लीनिकल एवं नॉनक्लिनिकल विभागों में चरणबद्ध तरीके से राज्य के मेडिकल कॉलेजों एवं राजमेस मेडिकल कॉलेजों में वित्त विभाग की स्वीकृति के दौरान अधिक जावेगी। नॉनक्लिनिकल विभाग में वरिष्ठ प्रदर्शकों के पदों को परिवर्तित कर सीनियर रेजिडेंट के पदों में रूपांतरित करने हेतु प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। प्रक्रिया उपरांत वर्तमान में वरिष्ठ प्रदर्शकों के रिक्त पदों को सीनियर रेजिडेंट के पदों में रूपांतरित कर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया मार्च 2022 तक पूर्ण कर ली जाएगी तत्पश्चात प्रधानाचार्य स्तर पर भर्ती की विज्ञप्ति महाविद्यालय स्तर पर शीघ्र भर्ती के लिए विज्ञप्ति नियमानुसार महाविद्यालय स्तर पर विभागवार हर वर्ष निकाली जावेगी एवं वर्तमान में नॉनक्लिनिकल विभागों में सीनियर रेजिडेंट के कॉमन पूल में से कुछ पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी।

6. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के पी.जी. पश्चात देय तीन अग्रिम वेतन वृद्धि हेतु 2017 में किए गए आदेश क्रमांक नंबर No. F4(57)F-D/Rules/2017 दिनांक 21.12.2017 की मूल भावना के अनुसार पी.जी. डिग्री के पश्चात तीन इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा व डिप्लोमा के पश्चात दो इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा देय है। किंतु आदेश की व्याख्या की विसंगति के कारण पी.जी. डिग्री पश्चात दो इंक्रीमेंट व डिप्लोमा के पश्चात एक इंक्रीमेंट की वास्तविकता रूप में डे हो रहा है, जिसे निदेशालय स्तर पर वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित कर आदेश की मूल भावना के अनुसार अधिकतम 2 माह की अवधि में दुरुस्त कर दिया जावेगा।

7. झालावार मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2019 के पी जी छात्रों की हॉस्टल फीस के संबंध में निदेशालय स्तर पर परीक्षण कराकर उचित निर्णय लिया जावेगा तथा हॉस्टल फीस चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) के आदेश दिनांक 01.01.2020 के अनुसार ली जावेगी एवं रिकवरी को निरस्त किया जावेगा एवं हर वर्ष 2019 बैच के तृतीय वर्ष की हॉस्टल परीक्षण कर निर्धारित की जाएगी।

कार्य बहिष्कार की अवधि को डे ऑफ / राजकीय अवकाश में समायोजित किया जावेगा तथा वेतन की कटौती नहीं की जाएगी। अंत में समस्त राजस्थान राज्य के रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा कार्य बहिष्कार दिनांक 09.12.2021 को प्रातः 9:00 बजे समाप्त किया गया।

नीट पीजी में ग्रामीण क्षेत्र बोनस

राजस्थान उच्च न्यायालय एकल पीठ ने नीट पीजी 2021 एडमिशन में याची का ग्रामीण क्षेत्र के बोनस अंक का हकदार होने का आदेश दिया। इसमें शहरी क्षेत्र में की गई सेवा अवधि को ग्रामीण क्षेत्र में मानते हुए नया सेवा प्रमाणपत्र 09 दिसंबर 2021 से पहले पहले जारी करने और तत्पश्चात नए प्रमाण पत्र के अनुरूप नियमानुसार बोनस अंक देने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता पाली ज़िला निवासी डाक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा की ओर से अधिवक्ता यशपाल ख़िलेरी ने रिट याचिका पेश कर बताया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति राज्य सरकार के आदेश 27 मार्च, 2020 से ग्रामीण/ दूरस्थ/ रेगिस्तानी क्षैत्र में शामिल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ चांग, तहसील रायपुर (पाली) में हुई थीं, लेकिन राज्य सरकार ने आदेश 24 सितंबर 2020 से कोविड -19 महामारी को देखते हुए उसकी सेवाएं ज़िला कलेक्टर, जोधपुर को सौंप दी थीं।

तब से याची डा एसएन मेडिकल कालेज जोधपुर के अधीन अपनी सेवाएं दे रहा है। याची की ओर से बताया गया कि इसी दरम्यान याची नीट-पीजी 2021 प्रवेश परीक्षा में शामिल हुआ और अच्छे अंक प्राप्त किए और अब प्रवेश के लिए राज्य कोटे की सीट्स पर काउंसलिंग हो रही है, जिसमे ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सकों को प्रतिवर्ष की सेवाओं के लिए क्रमशः 10, 20, 30 अंक बोनस के रुप मे देय है। याची के मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र की पीएचसी पर पदस्थापित होने के बावजूद बोनस अंक से वंचित किया जा रहा है। अगर याची राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति आदेश की अवहेलना करता तो उसे अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ता, लेकिन उसने आज्ञाकारी अधिकारी के रुप में आदेश की पालना में व्यापक जनहित को देखते हुए जोधपुर ज्वाइन किया। अगर जोधपुर ज्वाइन नहीं करता तो उसे नीट-पीजी 2021 में ग्रामीण क्षेत्र के लिए नियमानुसार बोनस अंक मिलते, लेकिन जोधपुर शहरी क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने के कारण उसे बोनस अंक से वंचित करना गैर कानूनी और अवैध है। उक्त प्रतिनियुक्ति आदेश की जिन चिकित्सकों ने पालना में ज्वाइन नही किया, उन्हें अपने मूल पदस्थापन स्थान के अनुरुप बोनस अंक मिल रहे हैं, जबकि याची को वंचित किया जा रहा है। याची का वेतन भी प्रारंभ से ही मूल पदस्थापन स्थान से ही मिल रहा है। याची का प्रतिनियुक्ति आदेश उसकी सहमति या इच्छा पर जारी नहीं हुआ था बल्कि राज्य सरकार ने स्वयं जारी किया था। बाबजूद इसके, जोधपुर शहरी क्षेत्र में की गई सेवा अवधि को ग्रामीण क्षेत्र के रुप में प्रमाण पत्र में सम्मलित नहीं करने पर उसने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। मामले में राज्य सरकार की ओर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार के दिशानिर्देश अनुसार शहरी क्षेत्र में कार्य संपादन/ प्रतिनियुक्ति अवधि को गणना योग्य अवधि में सम्मिलित नही किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने याची की रिट याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार सहित निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा विभाग जयपुर एवम सीएमएचओ पाली को आदेशित किया कि वे शहरी क्षेत्र में की गई सेवा अवधि को ग्रामीण क्षेत्र में मानते हुए नया सेवा प्रमाणपत्र 09 दिसंबर 2021 से पहले पहले जारी करें और तत्पश्चात नए प्रमाण पत्र के अनुरुप नियमानुसार बोनस अंक दें।

पीजी सीटें नहीं होंगी ऑल इंडिया कोटे से रिवर्ट

पीजी में पचास फीसदी सीटों के लिए ऑल इंडिया लेवल पर और बाकी पचास फीसदी पर स्टेट लेवल पर काउंसलिंग होती है, पूर्व में ऑल इंडिया की दो राउंड काउंसलिंग के बाद जो सीटें शेष रह जाती थी उन्हें सम्बंधित स्टेट को सौंप दिया जाता था और उनके जुड़ने के बाद स्टेट के सेकंड राउंड की काउंसलिंग होती थी, वर्ष 2020 में 184 सीटें राजस्थान में रिवर्ट होकर आई थी। इस वर्ष ऑल इंडिया की अलग से काउंसलिंग होगी और वहां बची खुची सीटों के लिए मॉप अप राउंड होगा।

पशु चिकित्साधिकारियों के वेतन में भेदभाव

पशुपालन विभाग ने UTB पर 300 पशु चिकित्साधिकारियों को नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में आदेश नवंबर में जारी किये गए थे जिसमें ज्यादा पद रिक्तता वाले 16 जिलों में UTB पर 300 पशु चिकित्साधिकारियों को नियुक्ति प्रदान कर रिक्त पदों को तत्काल भरा गया था, लेकिन नियुक्त के समय वेतन में पूर्ण रूप से भेदभाव रखा गया।

इससे पूर्व पशुपालन के बाद में वर्ष 2013 में 400 पदों पर भर्ती विज्ञप्ति UTB पर जारी की गई थी जिसमें वर्तमान में वेतनमान माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार 56100 रुपए निर्धारित किया गया है इसके बावजूद नई 300 UTB भर्ती में वेतनमान ₹39300 रखा गया है| यह भी ज्ञात हो कि वर्ष 2012 में की गई UTB भर्ती तथा वर्ष 2021 में की गई UTB भर्ती की शैक्षणिक योग्यता समान है इसके बावजूद वेतन में असमानता रखी गई है।

इसके लिए UTB में कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों ने राज्य सरकार एवं पशुपालन मंत्री से मांग की है कि पूर्व में की गई भर्ती के अनुसार कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों के समान नवनियुक्त UTB आधार पर पशु चिकित्सकों का वेतनमान ₹56100 किया जाए जिससे कि सम्मान योग्यता, समान नियुक्ति प्रकार होने के बावजूद वेतनमान में असमानता नहीं हो।

आपको बता दें कि पशुपालन विभाग में 70% से अधिक पशु चिकित्सा अधिकारियों के पद रिक्त चल रहे हैं जबकि राजस्थान लोक सेवा आयोग से 900 पशु चिकित्सकों की भर्ती उच्च न्यायालय में विचाराधीन है इससे विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं को असली अमलीजामा नहीं पहनाया जा रहा है जिसके लिए 16 जिलों में UTB आधार पर 300 पशु चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति प्रदान की गई थी जिसमें क्रमशः चित्तौडगढ़ में 17, बाड़मेर में 25, उदयपुर में 31, पाली में 29, नागौर में 13, झालावाड़ में 12, भीलवाड़ा में 26, जैसलमेर में 12, डूंगरपुर में 23, राजसमन्द में 20, प्रतापगढ़ में 11, सिरोही में 10, अजमेर में 17, जोधपुर में 19, धौलपुर में 6 तथा बांसवाड़ा जिले में 29 पशु चिकित्साधिकारियों को UTB पर नियुक्ति प्रदान की गई है। इससे वर्तमान में विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं को गति मिलने के साथ-साथ पशुपालक लाभान्वित हो रहें हैं।

पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती पूर्ण करने की मांग

बिना कैवेट बार बार स्टे आने की है पूरी संभावना, 70% से अधिक पद रिक्त

पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती 2013 के बाद अर्थात 8 साल बाद में अब जाकर संपन्न होने जा रही है जिसके लिए संवीक्षा परीक्षा परिणाम एवं सफल 1878 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन भी किया जा चुका है । लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी 'साक्षात्कार की तिथि' तक जारी नही की गई है जिसके कारण आगे की समस्त प्रक्रिया में विलंब होता नजर आ रहा है।

इसी को लेकर प्रदेशभर के बेरोजगार पशु चिकित्सको ने राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया पर लगी न्यायालय की रोक को हटवाकर कर तुरंत साक्षात्कार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए।

ज्ञात हो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पशु चिकित्सा अधिकारियों के लिए 900 पदों की भर्ती विज्ञप्ति अक्टूबर 2019 में विज्ञापित की थी जिसके लिए 2 अगस्त 2020 को संपन्न हुई संवीक्षा परीक्षा में पदों की तुलना में बहुत ही कम मात्र 2300 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। जिसमे से 1878 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है, इतने कम अभ्यर्थी होने के बाद भी अभी तक साक्षात्कार की तिथियों को घोषित नही किया गया है। जबकि सभी सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन भी करवाया जा चुका है।

राज्य सरकार के साथ साथ भारत सरकार ने भी पशुपालन व्यवसाय के महत्व को समझते हुए व GDP में इसके योगदान के मद्देनजर मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का वर्ष 2019 में अलग से गठन किया गया है। पशु रोगों के प्रभावी नियन्त्रण व इस सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय रोग नियन्त्रण कार्यकम (NADCP), INAPH , NADRAS, & NAIP शुरू किये गये हैं. इस हेतु भारत सरकार ने सभी राज्यों से पशुपालन विभाग में समस्त पदों को भरने का आग्रह किया है। इसके साथ ही विभाग में संचालित लगभग 6000 पशुचिकित्सा उपकेन्द्रों/ औषधालयों के प्रभावी व विधि सम्मत (भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 की अनुपालन सुनिश्चित करते हुए) संचालन के लिए भी पशु चिकित्सा अधिकारियों के पदों का भरा जाना अतिआवश्यक है।

आगे की प्रक्रिया पर राजस्थान हाई कोर्ट की रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने पशु चिकित्साधिकारी भर्ती-2019 की कट ऑफ जारी किए बिना साक्षात्कार लेने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश विष्णुदत्त सैनी की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि आरपीएससी की ओर से पशु चिकित्साधिकारी भर्ती में बीस फीसदी अंक एकेडमिक, चालीस फीसदी अंक स्क्रीनिंग टेस्ट और चालीस फीसदी अंक साक्षात्कार के लिए रखे गए। इसके बावजूद आयोग ने स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद कोई कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए। वहीं 1878 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुला लिया। याचिका में कहा गया कि आयोग को कट ऑफ जारी करने और दस्तावेज सत्यापन करने के बाद पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाना चाहिए था। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने बिना कट ऑफ मार्क्स और बिना दस्तावेज सत्यापन के साक्षात्कार लेने पर रोक लगा दी है।

कट ऑफ के लिए लगाई थी आरटीआई

पशुचिकित्साअधिकारी संवीक्षा परीक्षा 2019 का परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने सूचना का अधिकार के तहत भी आरपीएससी से कट ऑफ की जानकारी मांगी है इन अभ्यर्थियों की मांग है कि इसकी कट ऑफ भी जारी की जाए। ताकि यह पता चल सके कि किस वर्ग की कट ऑफ कितनी है।

साक्षात्कार के लिए सफल अभ्यर्थियों ने केविएट लगाने की मांग

साक्षात्कार के लिए सफल अभ्यर्थियों ने सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रमुख सचिव पशुपालन विभाग राजस्थान निदेशक पशुपालन एवं मुख्यमंत्री से मांग की है कि पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती पर केविएट लगाई जाए जिससे कि बिना राज्य सरकार एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग को सुने ही स्टे जारी ना हो और भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक देरी ना हो इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द साक्षात्कार की तिथि घोषित की जाए और साक्षात्कार संपन्न करवा कर नियुक्ति प्रदान की जाए जिससे पशुपालन विभाग में मानव संसाधन उपलब्ध हो सके।

वर्ष 2022 में कोर्ट एविडेंस होंगी ऑनलाइन

राजस्थान सरकार ने Rajasthan High Courts Rules for Video Conferencing for Courts, 2020 को लागु किया हैं जिसके तहत राज्य के प्रशासनिक अधिकारी/ पुलिस अधिकारी/ कर्मचारीगण लोककर्तव्यों के दौरान किए गए कृत्यों के संबंध में होने वाले वादकरण के संबंध में न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में साक्षी होते हैं। लोक सेवकों को वर्तमान में पदस्थापित स्थान से अन्यत्र स्थान पर साक्ष्य हेतु नहीं जाना पड़ेगा बल्कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के मार्फत साक्ष्य लिए जा सकेंगे। इससे राजकार्य भी प्रभावित नहीं होगा एवं अनावश्यक व्यय भार भी राज्य सरकार पर नहीं आएगा।

डॉक्टर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना

राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक गर्भवती महिला के इलाज में लापरवाही बरतने पर जोधपुर के उम्मेद अस्पताल की डॉक्टर कल्पना मेहता पर 25 लाख रुपए जुर्माना लगाया हैं। साथ ही उन्हें परिवाद दायर करने की तारीख 14 फरवरी 2017 से 9% वार्षिक ब्याज भी प्रार्थिया को देने के लिए कहां हैं। दरअसल मामला यह था कि नीता शर्मा ने गर्भवती होने पर 08 सितम्बर 2014 को डॉक्टर कल्पना मेहता को 200 रुपए फीस देकर दिखाया था। इस दौरान प्रार्थिया ने अपनी आयु व थायराइड बीमारी के बारे में भी बता दिया था। उस समय उसे 16 से 18 सप्ताह का ही गर्भ था। वह लगातार इलाज करवाती रही। इस दौरान 20 जनवरी 2015 को उसके बेटा हुआ लेकिन वह अन्य बच्चों से अलग था। बच्चों के डॉक्टर ने बताया कि बच्चा डाउन सिंड्रोम बीमारी से ग्रसित हैं और इसका मानसिक विकास 8 से 9 साल तक के बच्चे और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हैं।

इस विषय में चिकित्सकों का कहना है कि -

1. अधिक तकनिकी जांचो से क्या आम आदमी का इलाज महंगा नहीं होगा ?
2. बैंक FD पर 9 % ब्याज नहीं हैं, फिर यहाँ इतना ब्याज क्यों ?
3. निर्णय आयोग ने देर से दिया, तो ब्याज क्या डॉक्टर से लेना उचित हैं ?
4. उपभोक्ता कानून जब सरकारी डॉक्टर्स पर भी लागु हैं, तो वे इसके विरोध में निजी डॉक्टर्स के संग क्यों नहीं हैं।

सूर्यास्त के बाद भी अब हो सकेगा पोस्टमॉर्टम

केंद्र सरकार ने हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, क्षत-विक्षत शव और संदिग्ध मामलों को छोड़कर, उचित बुनियादी ढांचे वाले अस्पतालों में सूर्यास्त के बाद शवों के पोस्टमॉर्टम की अनुमति दे दी है। इसकी मंजूरी दिए जाने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य जो छिपा है वह अंगदान का है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में एक तकनीकी समिति की ओर से सूर्यास्त के बाद पोस्टमॉर्टम संबंधी मुद्दे की पड़ताल की गई। बैठक के दौरान चर्चा की गई कि कुछ संस्थान पहले से ही रात के समय पोस्टमॉर्टम कर रहे हैं। आधिकारियों का कहना है कि प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति और सुधार को देखते हुए, विशेष रूप से आवश्यक प्रकाश व्यवस्था और पोस्टमॉर्टम के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के चलते अस्पतालों में रात के समय अंत्य-परीक्षण करना संभव है। चर्चा उचित बुनियादी ढांचे वाले अस्पतालों में पोस्टमॉर्टम करने की अनुमति देने के पक्ष में रही। अन्य चीजों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे की दुरुस्ती और पर्याप्तता का आकलन अस्पताल प्रभारी की ओर से किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साक्ष्य मूल्य में कोई कमी नहीं है। बताया गया कि हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, क्षत-विक्षत शरीर और संदिग्ध श्रेणियों के मामलों को तब तक रात के समय पोस्टमॉर्टम के लिए नहीं रखा जाना चाहिए जब तक कि कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई स्थिति न हो।

राजकीय पत्र व्यव्हार करते समय रखें इन बातों का ध्यान

राजकीय पत्र व्यव्हार के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके लिए राजस्थान के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग-1) ने दिशा निर्देश जारी किये हैं, जिसके अनुसार समस्त अधिकारीगण से यह अपेक्षा की जाती है की राजकीय पत्र व्यवहार करते समय पत्र पर अपने हस्ताक्षर के नीचे तिथि, अधिकारी का नाम, पदनाम अंकित करने के साथ साथ पत्र के आधार (Bottom) पर पत्र जारी किये जाने वाले कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, फैक्स नम्बर, विभागीय वेबसाइट तथा अधिकारी कार्यालय की ई-मेल आईडी अंकित की जावे, जिससे शासन तंत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

पुलिस तहरीर : अहम् जानकारी

कोई भी चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट बनाने के लिए संबंधित पुलिस थाने से तहरीर लेने से कुछ जरूरी पर बहुत ख़ास बातो का ध्यान जरूर रखना चाहिए

1) कार्यालय का नाम, मोहर एवमं साईन
2) डिस्पेच नंबर
3) मजरुब का पूरा नाम, पिता का नाम, उम्र, धर्म एवम पूर्ण पता
4) मजरुब की चोटो का पूर्ण विवरण (अगर सही से न लिखा हो तो साथ आये पुलिसकर्मी को बोले कि सभी चोटे अंकित करे)

सिंतबर 2018 के हाल ही के मामले में न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बूंदी ने एक ऐसे ही मामले में मेडिकल ज्यूरिस्ट महोदय को धारा 193 भा. द. स. अन्तर्गत नोटिस थमाया गया है, जिसके अनुसार आपने दुरभि संधि करते हुए प्रार्थी को अधिकाधिक क्लेम लाभ दिलाने के उद्देष्य से 76 की जगह 55 उम्र लिख कर दी। जबकि 2014 के इस मामले के समय पुलिस तहरीर ने उक्त में स्पष्ठ रूप से उम्र 55 साल लिख रखी थी।

IMPORTANT TASKS

NPA Option Form

जो भी चिकित्सक एनपीए ले रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है कि उन्हें वर्ष के पहले दिन ही ऑप्शन फॉर्म भरना होता है कि वे इस साल एनपीए लेंगे, प्रेक्टिस नहीं करेंगे। वर्ष के प्रथम सप्ताह में ही अपना ऑप्शन फॉर्म भरकर अपने सक्षम अधिकारी को जमा करावें ताकी जिला स्तर से इसकी स्वीकृति निकल सके । इसके अभाव में एनपीए की रिकवरी होगी । इसके बाद हर महिने अटेंडेंस के साथ में मासिक प्रमाण पत्र देना है कि इस महिने मैंने प्रेक्टिस नहीं की हैं। यह आप्शन फॉर्म साल में एक बार शुरू में ही भरा जाता है और उसके बाद मासिक रूप से एनपीए सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है। वर्ष के प्रारंभ में एक बार स्वीकृति निकलवाने के बाद बीच में प्रेक्टिस शुरू भी कर सकते हैं।

ऑनलाइन अचल संपत्ति विवरण IPR

राज्य में कार्यरत समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान किया हुआ हैं। जिसके बिंदु निम्न प्रकार हैं:-

1. हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य के समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी 2022 की स्थिति में अपना अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है एवं 31 जनवरी पश्चात आईपीआर मॉड्यूल को बंद कर दिया जावेगा। उसके बाद अचल संपत्ति विवरण नहीं भरा जा सकता ।
2. जो अधिकारी कर्मचारी अपने अचल संपत्ति विवरण की सूचना ऑनलाइन नहीं भरेंगे। कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 136(76) का. / क-1/ ग्रो. प्र./2011 दिनांक 14.04.2011 के तहत प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जावेगी एवं पदोन्नति व वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जावेगा । यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगम स्वायत्तशासी संस्थाओं पर मउपक्रमों पर भी लागू है।
3. जिन राजपत्रित कर्मचारियों/ अधिकारियों ने अपना वर्ष 2021 का अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन नहीं भरा था उनके द्वारा अपना वर्ष 2022 का अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन भरने पर उनको वर्ष 2021 की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत कर दी जाएगी।
4. समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को SSO -ID से राज-काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाइन IPR भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में उक्त प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अंकित आईटी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

NPA के ऑप्शन फॉर्म या मासिक सर्टिफिकेट का फोर्मेट प्राप्त करने या IPR भरने में किसी भी तरह की दिक्कत आने पर Sarkari Doctor Helpline पर व्हाट्सएप करके जानकारी ली जा सकती है।

SARKARI DOCTOR HELPLINE NO

9799 95 2030

Scan me

GOT NEWS? GOT TIPS? GOT PHOTOS?

Tell us what's happening. Remember to tell Who, What, When, Where.
You can send us an article, news, information or photos if you like.

Email your stories and comments to sarkaridoctor@gmail.com
We will read all of your emails.
Email your pictures, video or audio to us.
In some cases your images or audio may be used in our Newsletter.

If we use your material online we will not publish your name as you provide it (if you want to publish than we may do so) but we will never publish your email address.

POINT AND SHARE

Now, open Booster Dose Newsletter on your Smart-phone instantly. Point your phone's scanner on the code and align it in the frame. You will be guided instantly to our website, www.sarkaridoctor.com This is useful to share our stories on social media or email them.

SARKARIDOCTOR.COM

Head Office
112A, Nirman Nagar, Jaipur – 302019
e-mail: sarkaridoctor@gmail.com
Printed and published by Sarkari Doctor.

Published for month of December 2021
Release on Jan 15, 2022
Total no. of pages 15, Including Covers